# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

---

प्र.सं. 34 / 2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 287

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व / भू.अ. अनूपगढ़

—अपीलार्थी

बनाम

1. गुरमीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, जटसिख साकिन 7 जेएम तहसील अनूपगढ़
2. सुखवन्त सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, जटसिख साकिन 7 जेएम तहसील अनूपगढ़
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. तहसीलदार अनूपगढ़
2. एकपक्षीय, प्रत्यर्थीगण

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 05.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 20.06.2018 जिसके द्वारा अपीलाधीन कृषि भूमि चक 4 जेएम तहसील अनूपगढ़ का प.न. 203 / 27 मु.नं. 4 की कुल 2.903है. भूमि का इन्तकाल सं. 193 प्रत्यर्थी सं. 1—2 के नाम से दर्ज किया गया हैं, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। अपील मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज की गयी। प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। सम्मन की प्रत्यर्थीगण पर विधिवत तामील हो जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आए। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश संबंधित रिकार्ड तलब किया गया।
2. बहस अपीलार्थी की सुनी गयी। अपीलार्थी बहस में अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आलौच्य आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। आलौच्य आदेश पंजीबद्ध दस्तावेज दस्तबरदारी हकत्याग के आधार पर पारित कर इंतकाल दर्ज किया गया हैं जबकि आलौच्य आदेश पारित करते समय अपीलाधीन भूमि बैंक के पक्ष में राहिन दर्ज थी, जिसका नोट जमाबंदी में अंकित था। भूमि के रहनशुदा होने के कारण जब तक भूमि रहनफक नहीं हो जाती तब तक किसी दस्तावेज के आधार पर भूमि का इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता था। इसलिए आलौच्य आदेश विधिविरूद्ध होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी हैं इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद स्वीकार का अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेश दिनांक 20.06.2018 निरस्त करने हेतु निवेदन किया।
3. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों और अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रत्यर्थीगण बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आए हैं। नामान्तरकरण आदेश का अवलोकन करने पर पाया कि आलौच्य आदेश पारित करते समय भूमि बैंक के पक्ष में राहिन थी। प्रस्तुत दस्तावेजों प्रतिलिपि जमाबंदी के अनुसार भूमि रिकार्ड में बैंक के पक्ष में राहिन दर्ज हैं। आलौच्य आदेश पारित करते समय तहसीलदार को चाहिए था कि वे पहले भूमि को रहनफक दर्ज करवाने के उपरान्त दस्तावेज दस्तबरदारी के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाते जिससे भविष्य में किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति नहीं बने। अतः आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।
4. अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं मूल अपील स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 20.06.2018 जिसके द्वारा चक 4 जेएम का इन्तकाल सं. 193 स्वीकृत किया गया हैं, को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार अनूपगढ़ को प्रतिस्थापित किया जाता हैं कि उक्त इंतकाल आदेश पारित होने से पूर्व की स्थिति को बहाल करने की सुनवाई का अवसर देते हुए बैंक के पक्ष में भूमि की राहिन स्थिति के मध्यनजर एक माह में पुनः विधिसम्मत पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:47:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 05.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)